रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No D (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 1983/ज्येष्ठ 12, 1905
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 1983/JYAISTHA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1983

का. आ. 389(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13, 14 और 18 के उपबंध उन रेलवे कर्मचारियों को लागू नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित समयमान में हैं और भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) के अध्याय VI-क

के उपबन्धों तथा भारतीय रेल प्रतिष्ठान संहिता द्वारा विनियमित होते हैं और रेलवे में किसी अनुसूचित नियोजन में काम कर रहे हैं ।

[सं. एम-32014/2/82-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

एम. एल. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1983

S.O. 389(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (1 of 1948) the Central Government hereby directs that for a period of five years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, the provisions of Sections 13, 14 and 18 of the said Act shall not apply to railway servants who are on time scales of pay approved by the Central Government and governed by the provisions of Chapter VI-A of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890) and the Indian Railways Establishment Code and who are employed in any schedule employment in Railways.

[No. S-32014/2/82-WC (MW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983